न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री प्रवीण कुमार (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

वादपत्र संख्या :– 28 / 2016 दायर तारीख 03.10.2016

अनवान

01. श्यामा देवी पत्नि बालमुकुन्द जाति गौड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
02. नवीन कुमार पिता बालमुकुन्द जाति गौड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

........................वादीगण

बनाम

01. कैलाश माता भंवरी पत्नि किशना जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
02. चतुर्भूज माता भंवरी जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
03. जगदीश माता भंवरी जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरगंज बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
04. घीसी मु0 घीसी माता भंवरी पत्नि मोहनलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी बस स्टेड के पास बेगू तहसील बेंगू जिला चित्तोडगढ ।
05. शिव पिता रतन जाति माली उम्र वयस्क निवासी हास्पीटल रोड बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
06. मु0 सुशिला पुत्री रतना पत्नि लादु जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरंगज बिजौलियां तहसील बिजौलियां
07. मु0 सीता पुत्री रतना जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरंगज बिजौलियां तहसील बिजौलियां
08. घीसीबाई बैवा रतना जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरंगज बिजौलियां तहसील बिजौलियां
09. कमला पिता गोदू जाति माली उम्र वयस्क निवासी केसरंगज बिजौलियां तहसील बिजौलियां
10. मु0 शंकर पुत्री गोदू पत्नि नन्दा जाति माली उम्र वयस्क निवासी बोलपुरिया तहसील माण्डलगढ
11. लाली पिता गोदू पत्नि छीतर जाति माली उम्र वयस्क निवासी नई आबादी विधुत विभाग के पीछे माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
12. मु0 पुष्पा पुत्री प्रभु जाति माली उम्र वयस्क निवासी हॉस्पीटल रोड बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां

........................प्रतिवादीगण

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त सामलाती खाते की भूमि ग्राम बिजौलियां पटवार हल्का बिजौलियां कंला तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 1084 रकबा 0–11 बीघा, आराजी नं0 1085 रकबा 0–06बीघा, आराजी नं0 1086 रकबा 0–09 बीघा, आराजी नं0 1087 रकबा 0–13 बीघा कुल किता 4 रकबा 1–19 बीघा भूमि स्थित है जिसमें वादी संख्या 1 का 11/160 हिस्सा वादी संख्या 02 का 33/320 हिस्सा होकर मौके पर हिस्से अनुसार काबिज है भूमि शामलाती होने से काश्त करने, भूमि को उन्नत आबाद करने, ऋण आदि प्राप्त करने में कठीनाई होती है। बटवाडा करा खाता अलग करवाया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्य वादी में वादी/वादीगण के बयान लिये गये जो संलग्न है वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी 2071–74 प्रस्तुत की जिसके अवलोकन से वादी शामलाती भूमि का खातेदार काश्तकार हैं।

जमाबन्दी में दर्ज खातेदार अपने अधिकार अधिपत्य की भूमि का विभाजन करने का अधिकार रखता है।

प्रस्तुत वाद पत्र में अधिवक्ता वादी बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत वाद पत्र वादी डिक्री किये जाने योग्य है अतः वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर प्रारम्भिक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बिजौलियां पटवार हल्का बिजौलियां कंला तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 1084 रकबा 0–11 बीघा, आराजी नं0 1085 रकबा 0–06बीघा, आराजी नं0 1086 रकबा 0–09 बीघा, आराजी नं0 1087 रकबा 0–13 बीघा कुल किता 4 रकबा 1–19 बीघा का दर्ज जमाबन्दी में हिस्से अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव मय अक्ष मोका पक्षकारान की उपस्थित में तैयार कर 10 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जाकर प्रस्ताव तलब हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2017 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कैम्प बिजौलियाँ